संख्या-32/2018/क0नि0-4-705/11-2018-300(20)/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 13 जुलाई, 2018**

विषयः- जनपद इटावा विभागीय कार्यालय भवनों में निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-इटावा-बाउन्ड्रीवाल व अनुरक्षण/2018-19/241/वाणिज्य कर, दिनांक 05 जून, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में वाणिज्य कर विभाग के सहायता केन्द्र/विभागीय कार्यालय भवनों/आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रु0-10.00 करोड़ में से जनपद इटावा में विभागीय कार्यालय भवन में जी0एस0टी0 लागू करने हेतु एल्यूमीनियम केबिन के कार्य हेतु रू0-09.74 लाख, व्यापारी/अधिवक्ता कक्ष एवं गार्ड/चौकीदार रूम के निर्माण हेतु रू0-10.76 लाख तथा वाहन पार्किंग एरिया को आर0सी0सी0 लैंटर से कवर्ड कराने के कार्य हेतु रू0-18.81 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-39.31 लाख (रूपया उन्तालीस लाख इकतीस हजार मात्र) का भुगतान राजकीय कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लि0 (यू0पी0 सिडको), इटावा को किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i) आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(ii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30.03.2018 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) निर्माण/अनुरक्षण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

(iv) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी मद पर व्यय किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-31-सहायता केन्द्र/विभागीय कार्यालय भवनों/आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य-25-लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-32/2018/क0नि0-4-705(1)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, इटावा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।